पत्रांक–04 / STA-(विविध)–21 / 2018 6471

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार ।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक– 8/10/18

विषयः– **प्रमंडलीय** जिलों से भिन्न जिलों के निबंधित **व्यावसायिक वाहनों** को परमिट निर्गत करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन **प्राधिकार** कार्यालय का एक एक्सटेंशन काउन्टर **खोलने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी व्यावसायिक वाहनों को एक वैध परमिट से आवृत्त होना आवश्यक है । ऐसे सभी वाहनों को परमिट प्रदान करने के लिए एक सुविधाजनक एवं प्रभावी तंत्र का निर्माण करना विभाग की प्राथमिकता है, जो समयबद्ध तरीक से इस कार्य को संपादित कर सके ।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रमंडलीय जिलों से भिन्न जिलों में रहने वाले वाहन स्वामियों को परमिट प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रमंडलीय जिलों की यात्रा करनी होती है, जिससे उनका समय एवं संसाधन व्यर्थ होता है तथा उन्हें कई असुविधाओं का भी सामना करना होता है । इसी कारण वश कई मामलों में वाहनस्वामियों द्वारा बिना वैध परमिट प्राप्त किये ही वाहन का परिचालन किया जाता है, जिससे सरकारी राजस्व की हानि होती है ।

यह भी ज्ञातव्य हो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए अधिसूचना सख्या–823, दिनांक–05.09.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गयी है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत के पांच लाभुकों को (तीन अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्य) वाहन की खरीद पर अधिकतम एक लाख रूपये अनुदान दिया जाना है । अनुमान है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इससे करीब चालीस हजार नये वाहन खरीदे जायेगें । इन सभी वाहनों को वैध परमिट की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक वाहनों को परमिट निर्गत करने के लिए प्रमंडलीय जिलों से भिन्न जिलों में स्थित जिला परिवहन कार्यालयों में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय का एक एक्सटेंशन काउन्टर खोला जायेगा । प्रमंडलीय जिलों से भिन्न जिलों में निबंधित वाहन का परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन अनिवार्यतः इसी काउन्टर पर दाखिल किया जायेगा । एक्सटेंशन काउन्टर पर ही परमिट फी जमा करने की व्यवस्था होगी । यह निम्न प्रकार से दाखिल किया जा सकेगाः–

– लाभुक ऑन लाईन या ऑफ लाईन विहित प्रपत्र में आवेदन तथा प्रासंगिक कागजात संलग्न कर जमा करेंगे तथा परमिट के लिए फीस इत्यादि उसी काउन्टर पर जमा किया जायेगा तथा उचित प्राप्ति की रसीद निर्गत की जायेगी ।

जिला परिवहन कार्यालय के इस एक्सटेंशन काउन्टर पर प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार एवं शुक्रवार को सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के विहित शीर्ष में सभी प्रकार के शुल्क वाहन 4.0 के माध्यम से ही जमा किये जायेंगे जो संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के यहाँ Verifier सत्यापित करेंगे । तत्पश्चात् क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के स्तर से सामान्यतः 15 दिनों के अन्दर परमिट के संबंध में निर्णय लेकर परमिट को संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें । आवेदक उसी काउन्टर से परमिट प्राप्त कर सकेगें, जहाँ उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया था । जिला परिवहन पदाधिकारी अपने कार्यालय में परमिट संबंधित कार्यो के लिए एक अलग काउन्टर की व्यवस्था करेंगे । साथ ही इस कार्य हेतु किसी कर्मी/ऑपरेटर को जिम्मेवारी देना सुनिश्चित करेंगे । परमिट शुल्क से प्राप्त सरकारी राजस्व का संधारण कार्यालय द्वारा समुचित तरीके से किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,
8/10/18

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Phone No.: 0612-2547448, Fax: 0612-2546212, Email: stcbihar@gmail.com

C:\Users\permit\Desktop\Maruti Sir 05.10.2018.docx